समाचार.प्रकाषनार्थरू.

महलवाड़ा की बंद घड़ी स्थान पर लगेगी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी.श्री काष्यप
नगर निगम व रतलाम स्थापना समिति ने धूमधाम से मनाया रतलाम नगर गौरव दिवस

रतलाम 5 फरवरी । बसंत पंचमी पर नगर निगम रतलाम एवं रतलाम स्थापना महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में नगर निगम तिराहे पर स्थापित महाराजा रतनसिंह जी की प्रतिमा स्थल पर रतलाम नगर गौरव दिवस विधायक रतलाम षहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यप के मुख्य आतिथ्य में धूमधाम से मनाया गया।
मुख्य अतिथि माननीय श्री काष्यप ने इस अवसर पर कहा कि रतलाम नगर की स्थापना महाराजा रतनसिंह जी ने बसंत पंचमी पर की थी। रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा 30 वर्शो से बसंत पंचमी पर रतलाम नगर का जन्मोत्सव मनाती आ रही है इस कार्य में नगर निगम भी अपना पुरा सहयोग कर रही है यह प्रषंसनीय है। उन्होने कहा कि इस वर्श से रतलाम स्थापना दिवस रतलाम नगर गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पिछले वर्श रतलाम विकास प्रदर्षनी लगाई गई थी जो इस वर्श भी लगाई गई है जिससे नागरिकों को पता चल सकें की पहले हमारा रतलाम कैसा था और अब विकास के पथ पर आगे बढ़कर कैसा लग रहा है।
उन्होने इस अवसर पर कहा कि महलवाड़े की बंद घड़ी के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगाने की घोशणा करते हुए कहा कि घड़ी का बंद रहना षुभ नहीं होता है इसे लगाता चलते रहना चाहिये इसी तरह रतलाम का विकास रूकना नहीं चाहिये वह लगातार चलता रहना चाहिये।

प्रारंभ में मुख्य अतिथि माननीय श्री चेतन्य जी काष्यपए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए पूर्व महापौर श्री षैलेन्द्र डागाए रतलाम स्थापना महोत्सव समिति अध्यक्ष श्री प्रवीण सोनीए संयोजक श्री मुन्नालाल षर्माए वरिश्ठ भाजपा नेता श्री कन्हैयालाल मौर्यए भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष श्री विप्लव जैनए श्री प्रदीप उपाध्यायए श्री मनोहर पोरवालए पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अषोक पोरवालए पूर्व महापौर परिशद सदस्य एवं पार्शद सर्वश्री प्रेम उपाध्यायए मंगल लोढ़ाए भगतसिंह भदौरियाए अरूण रावए प्रहलाद पटेलए पप्पू पुरोहितए मोहनलाल धभाईए अषोक यादवए मंडल अध्यक्ष श्री आदित्य डागाए श्री कृश्ण कुमार सोनीए श्री निलेष गांधीए श्री मयूर पुरोहितए श्री कर्णधीर बड़गोत्याए पूर्व मण्डल अध्यक्ष श्री जयवंत कोठारीए दिनेष षर्मा के अलावा सर्वश्री गोपाल षर्माए हितेष कामरेडए राकेष परमारए राजेष रांकाए नन्दकिषोर पवांरए इब्राहिम षैरानीए रमेष पांचालए राजू हांकीए झरनेष पांचालए राजेष कटारियाए प्रभु सोलंकीए वैभव जैनए उपायुक्त श्री विकास सोलंकी सहित निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने महाराजा रतनसिंह जी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके पष्चात माननीय श्री काष्यप ने रतलाम विकास प्रदर्षनी फीता काटकरए मॉ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलन कर षुभारंभ किया। इस अवसर माननीय श्री काष्यप व उपस्थितजनों का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने पुश्पगुच्छ से स्वागत व लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर आतिषबाजी भी की गई।
कार्यक्रम का संचालन श्री मंगल लोढ़ा ने किया व आभार श्री गोपाल षर्मा ने माना।

आनन्द कॉलोनी में सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 66ण्62 लाख व जलकर 15ण्22 लाख की बकाया राषि जमा कराई

रतलाम 05 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू.भाटक की बकाया राषि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822रु. व जलकर 54ए850रु.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा षिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575रु. व जलकर 34ए520रु.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013रु. व जलकर 63ए450रु.ए विनोबा नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292रु. व जलकर 1ए19ए720रु.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल षिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857रु. व जलकर 62ए950रु.ए तिरूपति नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977रु. व जलकर 28ए870रु.ए कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000रु. व जलकर 14ए000रु.ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास षिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600रु. व जलकर 1ए04ए640रु.ए कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206रु. व जलकर 1ए21ए090रु.ए प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000रु. व जलकर 47ए000रु.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422रु. व जलकर 83ए700रु.ए हाट रोड षिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500रु. व जलकर 27ए540रु.ए कलीमी कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281रु. व जलकर 40ए240रु.ए राजेन्द्र नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000रु. व जलकर 31ए760रु.ए काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077रु. व जलकर 72ए440रु.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 98ए534रु. व जलकर 37ए465रु.ए कल्याण नगर षिविर में संपत्तिकर 87ए732रु. व जलकर 36ए660रु.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455रु. व जलकर 92ए125रु.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298रु. व जलकर 64ए770रु.ए रामगढ़ षिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241रु. व जलकर 28ए140रु.ए

लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920रू व जलकर 1ए56ए600रूए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338रू व जलकर 1ए67ए280रूए किरण टॉकिज षिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541रू व जलकर 76ए625रू की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राषि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

रतलाम 05 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा।

इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

9805 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 05 फरवरी । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषनए राश्ट्रीय विधवा पेंषनए राश्ट्रीय निःषक्त पेंषनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषनए विधवा पेंषनए निःषक्त पेंषनए मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 05 फरवरी तक 9805 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 98 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

05 फरवरी को 2ण्55 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 05 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 05 फरवरी षनिवार को 2ण्55 मिट्रिक कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

05 फरवरी षनिवार को डम्पर से 27050ए टेªक्टर से 8675ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 16060ए काम्पेक्टर गीला कचरा 14720ए डम्पर नाला मलबा 189285 किलो इस तरह कुल 255740 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

3091 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 05 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राषि रूपये 10ए000ध्. तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 193 हितग्राहियों को राषि रूपये 20ए000ध्. ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 102 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 05 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 05 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल

डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारध्जण्संण्विण्ध्हेमन्तध्05ण्02ण्2022ध्नण्पाण्निगमए रतलामण